कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा—मा/सी—5/स्थानांतरण/2019—20/1—163 दिनांक—29.09.2019 के तहत् फहमीदा परवीन व्याख्याता उर्दू राबाउमावि कोहना पुरानी टोंक से राउमावि टोडाराय सिंह टोक में किया गया था। फहमीदा परवीन ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4231/2019 फहमीदा परवीन बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4231/2019 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.19 द्वारा अपीलार्थीया फहमीदा परवीन को तलाकशुदा महिला होने एंव वृद्व माता पिता के साथ रहने एंव तलाकशुदा महिलाओं के स्थानातरण रिक्त पदों पर किये जाने की विभाग की निती होने के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के संबंध में तीन रिक्त पद दर्शाते हुए विभाग मे अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थीया फहमीदा परवीन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में तलाकशुदा महिला होने एंव वृद्व माता पिता के साथ रहने एंव अन्य पारिवारीक समस्या के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि दरबार टोंक व्याख्याता उर्दू पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय अपील अधिकरण जयपुर के आदेश की अनुपालना में अपीलार्थीया के तलाकशुदा महिला एवं अन्य विपरीत पारिवारीक स्थितियों से ग्रसित होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीया फहमीदा परवीन का स्थानातंरण पर पदस्थापन संशोधन राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विधालय टोंक व्याख्याता उर्दू के पद पर किया जा कर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता हैं। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

07/01

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी—5/अभ्यावेदन/19—20 दिनांकः—07/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
02 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
04 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
05 जि.शि.अ. (माध्य—विधि) जयपुर।
06 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08 संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर